यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अच्छे लोग, अच्छा बैंक | Union Bank of India Good people to bank with
भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य | Member of Banking Codes & Standards Board of India
क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली नॉर्थ

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत अचल/चल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से कॉर्पोरेशन बैंक के निम्नलिखित बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ है वही है" आधार पर नीचे वर्णित तिथियों पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे वर्णित है :

शाखा नाम एवं पता	कर्जदार तथा जमानती/यों का नाम	
नोएडा भंगेल शाखा, दूरभाष : 9650177211	कर्जदार : मैसर्स अर्णव ट्रेडिंग कम्पनी, प्रोप. श्री राजेश कुमार पुत्र छत्रपति शर्मा, म.नं. 283, प्रथम तल (छत के अधिकार रहित), माप 27.52 वर्ग मीटर, ब्लॉक-एच, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प्र. 201009	बकाया राशि रु. 20.17 लाख तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 1. आवासीय सम्पत्ति म.नं. 283, प्रथम तल (छत के अधिकार रहित) का सम्पूर्ण भाग, माप 27.52 वर्ग मीटर, ब्लॉक-एच, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प्र. 201009, श्री राजेश कुमार पुत्र छत्रपति शर्मा के नाम पर।
सीमाएँ : उत्तर-पूर्व : म.नं. 282, दक्षिण-पूर्व : म.नं. 284, उत्तर-पश्चिम : रोड, दक्षिण-पश्चिम : प्रवेश।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 22.10.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।
आरक्षित मूल्य रु. 26,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 2,60,000/-@ 10% संविदा वृद्धि मूल्य : 10,000/-.

शाखा नाम एवं पता	कर्जदार तथा जमानती/यों का नाम	
दिलशाद गार्डन शाखा, दूरभाष : 9285106002	कर्जदार : मैसर्स दीप एसोसिएट्स (प्रोपराइटर श्री प्रमोद कुमार), प्लॉट नं. बी5/98, भूतल, यमुना विहार, बी5, घोंडा आवासीय स्कीम, शाहदरा, माप 70 वर्ग मीटर (छत के अधिकार रहित), दिल्ली-110053, जमानती : श्री सलीम	बकाया राशि रु. 21.67 लाख तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 1. प्लॉट नं. बी5/98, भूतल, यमुना विहार, बी5, घोंडा आवासीय स्कीम, शाहदरा, माप 70 वर्ग मीटर (छत के अधिकार रहित), दिल्ली-110053. सीमाएँ : उत्तर : सर्विस लेन, दक्षिणः प्रवेश, पूर्व : प्लॉट नं. बी5/97, पश्चिम : प्लॉट नं. बी5/99
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 22.10.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।
आरक्षित मूल्य : रु. 51,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 5,10,000/- @ 10% संविदा वृद्धि मूल्य : 10,000/-.

शाखा नाम एवं पता	कर्जदार तथा जमानती/यों का नाम	
दिलशाद गार्डन शाखा, दूरभाष : 9285106002	कर्जदार : श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्लॉट नं. 670ए, फ्लैट नं. बी (पीछे की ओर), भूतल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन I, पसौंदा, परगना लोनी, तहसील जिला : गाजियाबाद, उ.प्र.	बकाया राशि रु. 4.74 लाख तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 1. 670ए, फ्लैट नं. बी (पीछे की ओर), भूतल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन क, पसौंदा, परगना लोनी, तहसील जिला : गाजियाबाद, उ.प्र.
उत्तर : सर्विस लेन, दक्षिण : प्लॉट नं. 671, पूर्व : सर्विस लेन, पश्चिम : प्रवेश प्लॉट नं. 670
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 22.10.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।
आरक्षित मूल्य : रु. 12,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 1,20,000/- @ 10% संविदा वृद्धि मूल्य : 10,000/-.

नियम एवं शर्तें :
1. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर की जाएगी।
2. सफल बोलीदाता को नीलामी की समाप्ति पर उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा के तत्काल बाद बोली राशि 25% बोली राशि का भुगतान करना होगा तथा शेष भुगतान बिक्री की पुष्टि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। यह भुगतान 21.10.2021 को या उससे पूर्व प्राधिकृत अधिकारी की खाते में आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा की जायेगी। इस भुगतान में चूक करने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता का कोई दावा नहीं होगा तथा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
3. सभी वैधानिक तथा अन्य देय बकायों, बढ़ी हुई अथवा पहले से लागू का भुगतान सम्पत्ति के क्रेता को ही करना होगा।
4. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन इच्छुक बोलीदाता को अधिभारों, संपत्तियों के टाइटल से संबंधित अपना स्वतंत्र जाचं कर लें तथा निरीक्षण कर स्वयं संतुष्ट कर लें। सम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी से परामर्श के बाद 10.30 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे तक किया जा सकता है।
5. उसी समय सफल बोलीदाता द्वारा 25% बिक्री मूल्य के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई धरोहर राशि प्रतिभूत क्रेडीटर के लिये जब्त कर ली जाएगी तथा जमा की गई बोली स्वतः निरस्त कर दी जाएगी।
6. ईएमडी जमा किये होने वाले इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी एवं पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि की जरुरत हो, वे www.mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें। इच्छुक बोलीदाताओं/ क्रेताओं को अपने मोबाईल नम्बर तथा वैद्य ईमेल आईडी का उपयोग करते हुए https.//www.mstcecommerce.com/ auction home/ ibapi/ index.jsp पर पंजीकरण कराना होगा। आगे उन्हें केवाईसी दस्तावेजों तथा बैंक के विवरणों को भी अपलोड करना होगा।
7. पंजीकरण-संबंधी पूछताछ के लिये ibapiop@mstcecommerce.com पर ईमेल करें।
8. ईएमडी भुगतान/ रिफंड संबंधी पूछताछ के लिये ibapifin@mstcecommerce.com पर ईमेल करें।
9. पंजीकरण एवं लॉगिन तथा बोली के नियमों के लिये https.//www.mstcecommerce.com/ auction home/ ibapi/ index.jsp पर जाएं एवं "लॉगिन एवं पंजीकरण के लिये बायर गाइड" पर क्लिक करें।
10. सम्पत्ति सम्बन्धी किसी भी पूछताछ के लिये शाखा प्रमुख से सम्पर्क करें।
11. आयकर नियमों के अनुसार नीलामी के सफल क्रेता को नीलामी मूल्य के 0.75% की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा।

(विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.ibapi.in, www.unionbankofindia.co.in देखें।)

सरफैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारकों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं सहायक खर्चें के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री की जाएगी तथा ब्याज तथा लागत के साथ बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली की जाएगी।

तिथिः 21.09.2021, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

अधिकारियों को विदेशी हस्तियों से मिले उपहार रखने की मंजूरी

नई दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा)।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों के लिए लागू अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के अनुसार, 'सेवा का कोई भी सदस्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, यदि उपहार का मूल्य 5,000 रुपए से अधिक है।'

केंद्र ने आइएएस, आइपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होने के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले उपहारों को अपने पास रखने की अनुमति देने के लिए 50 साल पुराने नियम में संशोधन किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है।

मौजूदा नियमों के तहत अगर उपहार देना प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो तो इन अधिकारियों को शादी, वर्षगांठ, अंत्येष्टि और धार्मिक समारोहों जैसे अवसरों पर अपने करीबी रिश्तेदारों या मित्रों से उपहार स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। लेकिन, अगर इस तरह के उपहार का मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है तो सरकार को इस बारे में सूचित करना पड़ता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों के लिए लागू अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के अनुसार, 'सेवा का कोई भी सदस्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, यदि उपहार का मूल्य 5,000 रुपए से अधिक है।' इन नियमों में कहा गया है कि सेवा के सदस्य को उनके साथ आधिकारिक व्यवहार करने वाले या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक कंपनियों या अन्य संगठनों से महंगा आतिथ्य या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिए।

इसके साथ ही कार्मिक मंत्रालय ने अब इन नियमों में संशोधन किया है और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 की धारा 11 के तहत एक नया उप-नियम शामिल किया है।

हालिया संशोधित नियम में कहा गया है कि सेवा का कोई सदस्य, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य होने के नाते या अन्यथा, विदेशी योगदान (उपहार या भेंट को स्वीकार करने या रखने संबंधी) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर सकता है और अपने रख सकता है।

कार्मिक मंत्रालय ने पिछले साल मार्च में प्रस्तावित नियमों पर राज्य सरकारों से टिप्पणी मांगी थी। राज्यों से 31 मार्च 2020 तक जवाब भेजने के लिए कहा गया था और ऐसा नहीं होने पर 'यह माना जाएगा कि राज्य सरकार को प्रस्तावित संशोधनों पर कोई आपत्ति नहीं है।'

ज्ञात या अज्ञात स्रोतों से, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहार, आमतौर पर विदेश मंत्रालय के तोशखाना में जमा किए जाते हैं।

सूचना देने में कोताही बरतने पर अधिकारी पर जुर्माना

जयपुर, 21 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना देने में कोताही बरतने पर मालपुरा नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने एक अन्य मामले में बिजली वितरण कंपनी एवं चार चिकित्सा अधिकारियों पर भी इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आयोग के सम्मुख मालपुरा के शशिप्रकाश ने अपील की थी कि उन्होंने कोई एक साल पहले कस्बे में शुष्क शौचालय की सफाई में लगे कर्मचारियों की सूची मांगी थी, परंतु नगर पालिका ने उनके आवेदन की उपेक्षा की।

आयोग ने पालिका अधिकारी से जवाब तलब किया। लेकिन पालिका प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने अप्रसन्नता व्यक्त की और अधिशासी अधिकारी पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आयोग ने नगर पालिका को निर्देश दिया है कि वह आगामी पंद्रह दिन में नागरिक को वांछित सूचना मुहैया करवाए। एक अन्य मामले में आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर अजमेर विद्युत वितरण निगम के लोक सूचना अधिकारी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाने और वांछित सूचना 15 दिन में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

इसी तरह राज्य सूचना आयोग ने झालावाड़ जिले में इकलेरा, डग, मनोहर थाना और बकानी के चिकित्सा अधिकारियों पर अलग अलग मामलों में पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इन चारों मामलों में एक नागरिक ने मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से संबधित सूचनाओं के लिए वर्ष 2019 में अर्जी दी थी, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया। आयोग ने इन अधिकारियों को चार बार नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया, परंतु वे न तो सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने कोई जवाब दिया। इस पर आयुक्त बारेठ ने नाराजगी जाहिर की और जुर्माने का आदेश दिया। जुर्माने की राशि इन अधिकारियों की तनख्वाह से काटी जाएगी।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

EMI Electronics Mart India Limited

ELECTRONICS MART INDIA LIMITED

Our Company was originally formed as a sole proprietorship under the name of 'M/s Bajaj Electronics' at Hyderabad in 1980 and it was converted into a partnership firm under the name of 'M/s Bajaj Electronics' (**"Bajaj Electronics"**) pursuant to partnership deed dated March 25, 2011 and was registered under the Indian Partnership Act, 1932 with the Registrar of Firms, Hyderabad (South) on April 13, 2011. Pursuant to the deed of partnership dated July 31, 2017, constitution of 'M/s Bajaj Electronics' was modified to admit new partners and a memorandum acknowledging receipt of documents for change in constitution of partnership was issued by Registrar of Firms, Hyderabad (South), on August 2, 2017. 'M/s Bajaj Electronics was thereafter converted into a public limited company under the Companies Act, 2013 with the name Electronics Mart India Limited pursuant to certificate of incorporation issued by Central Registration Centre, Registrar of Companies dated September 10, 2018. For details in relation to change in name of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 159 of the Draft Red Herring Prospectus dated September 20, 2021 (**"DRHP"**).

Registered Office: D. No: 6-1-91, Shop No. 10, Ground Floor, Next to Telephone Bhavan, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad – 500 004, Telangana, India; **Tel:** 040-2324 2512
Corporate Office: 6-3-666/A1 to 7, 3rd and 4th Floors, Opposite NIMS Hospital, Punjagutta Main Road, Hyderabad – 500 082 Telangana, India; **Tel:** +91 040 2323 0244
Contact Person: Rajiv Kumar, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 040 4875 1125
E-mail: cs@bajajelectronics.in; **Website:** www.electronicsmartindia.com; **Corporate Identity Number:** U52605TG2018PLC126593

OUR PROMOTERS: PAVAN KUMAR BAJAJ AND KARAN BAJAJ

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ELECTRONICS MART INDIA LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 MILLION (THE "ISSUE"). THE ISSUE WOULD CONSTITUTE [•] % OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10. THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE BAND AND MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMs") AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND [•] EDITION OF THE TELUGU NEWSPAPER [•] (TELUGU BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF TELANGANA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of *force majeure*, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective website of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Member and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

This is an Issue in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**), read with Regulation 31 of Securities And Exchange Board Of India (Issue Of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the **"SEBI ICDR Regulations"**). The Issue is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) (the **"QIB Portion"**), provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis, out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIBs using UPI Mechanism), in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see *"Issue Procedure"* on page 301 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed a DRHP dated September 20, 2021 with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) on September 21, 2021. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e., the BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the website of the BRLMs, i.e., Anand Rathi Advisors Limited at www.rathi.com; IIFL Securities Limited at www.iiflcap.com and JM Financial Limited at www.jmfl.com. The Company invites members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by the Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* on page 22 of the DRHP. For details of the share capital and capital structure of the Company, see *"Capital Structure"* on page 68 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of the Company as contained in the memorandum of association of the Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 159 of the DRHP. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE. Any decision whether to invest in Equity Shares described in the DRHP may only be made after a Red Herring Prospectus for the same has been filed with the Registrar of Companies and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE ISSUE
ANANDRATHI	IIFL SECURITIES	JM FINANCIAL	KFINTECH
Anand Rathi Advisors Limited 10th Floor, Trade D Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400 013; Maharashtra, India **Tel:** + 91 22 6626 6666 **E-mail:** emil.ipo@rathi.com **Investor Grievance E-mail:** grievance.ecm@rathi.com **Website:** www.rathi.com **Contact Person:** Sumeet Lath/ Shikha Jain **SEBI Registration No.:** INM000010478	**IIFL Securities Limited** 10th Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400 013; Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4646 4600 **E-mail:** emil.ipo@iiflcap.com **Investor Grievance E-mail:** ig.ib@iiflcap.com **Website:** www.iiflcap.com **Contact Person:** Shirish Chikalge/ Mukesh Garg **SEBI Registration No.:** INM000010940	**JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6630 3030 **E-mail:** emil.ipo@jmfl.com **Investor Grievance E-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Contact Person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration No.:** INM000010361	**KFin Technologies Private Limited** (Formerly known as Karvy Fintech Private Limited) Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032, Telangana, India **Tel:** +91 40 6716 2222 **E-mail:** emi.ipo@kfintech.co **Investor Grievance E-mail:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact person:** M Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **ELECTRONICS MART INDIA LIMITED**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Hyderabad
Date : September 21, 2021

ELECTRONICS MART INDIA LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on September 21, 2021. The DRHP is available on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com as well as on the website of the Book Running Lead Managers at www.rathi.com; www.iiflcap.com and www.jmfl.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see *"Risk Factors"* on page 22 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI for making any investment decision.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be distributed in or released in the United States. The announcement is not an Issue to sell or a solicitation of any Issue to buy the Equity Shares in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (**"U.S. Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in compliance with Regulation S.

CONCEPT

पत्र-युद्ध : उद्धव ठाकरे का राज्यपाल कोश्यारी पर पलटवार

मुंबई, 21 सितंबर (भाषा)।

कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर संसद सत्र बुलाने का करें अनुरोध

साकीनाका बलात्कार व हत्या मामले की पृष्ठभूमि में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा पत्र लिखे जाने के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल को महिलाओं की सुरक्षा और उन पर बढ़ते हमलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाने का केंद्र से अनुरोध करना चाहिए।

ठाकरे ने सोमवार को राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कोश्यारी के गृह राज्य उत्तराखंड सहित भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े दिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा इस तरह के 'निर्देश' से एक नया विवाद पैदा हो सकता है और लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रियाओं को नुकसान हो सकता है। कोश्यारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने को कहा था।

ठाकरे ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोश्यारी की चिंताओं का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, 'मुंबई की साकीनाका घटना की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के संबंध में, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आपकी आत्मा एक राजनीतिक कार्यकर्ता की है। हालांकि, आपके द्वारा दिए गए निर्देश से एक नया विवाद पैदा हो सकता है।' इस महीने की शुरुआत में मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला के साथ बलात्कार करने के साथ ही बर्बर व्यवहार किया गया था। पीड़िता की बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी।

ठाकरे ने लिखा, 'यह संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए हानिकारक है कि राज्यपाल भी वही मांग करते हैं जो राज्य सरकार का विरोध करने वाले कर रहे हैं। राज्य ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है।' मुख्यमंत्री ने सवाल किया, 'आपका गृह राज्य उत्तराखंड, देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं पर हमलों की घटनाओं में 150 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। क्या वहां विशेष सत्र बुलाया जा सकता है?' ठाकरे ने लिखा कि पड़ोसी राज्य गुजरात में पिछले दो साल के दौरान 14,229 महिलाएं लापता हो गईं। 'गुजरात पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 14 महिलाओं को रोजाना बलात्कार या यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इतनी अधिक संख्या को देखते हुए, गुजरात में कम से कम एक महीने के सत्र की आवश्यकता है।'

मध्य प्रदेश : दो अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

दमोह/सागर (मप्र), 21 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने दमोह जिले के नगर परिषद तेंदुखेडा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) प्रकाशचंद पाठक व लेखापाल जितेंद्र श्रीवास्तव को एक ठेकेदार से रोड निर्माण के बिल का भुगतान करने के एवज में कथित रूप से एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मंगलवार को गिरफ्तार किया।

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक (सागर) रामेश्वर सिंह यादव ने बताया कि भगवान लाल बरेडिया की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस, सागर की टीम ने जाल बिछाया और पाठक एवं श्रीवास्तव को उनके कार्यालय में एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मंगलवार को रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के द्वारा नगर परिषद तेंदुखेडा क्षेत्र में नाली निर्माण एवं सीसी रोड निर्माण के बिल का भुगतान करने के एवज में इन दोनों ने यह रिश्वत मांगी थी। यादव ने बताया कि इस संबंध में इन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

नीतीश कुमार ने मंदार पर्वत पर 'रोपवे' का किया उद्घाटन

भागलपुर, 21 सितंबर (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मंदार पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए छह जगहों पर रोपवे का निर्माण कराया जाएगा, जिससे पर्यटकों की संख्या में इजाफे के साथ रोजगार का भी सृजन होगा।

भागलपुर प्रमंडल के बौसी प्रखंड स्थित मंदार पर्वत जो कि समुद्र मंथन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहां मधुसुदन भगवान आए थे। इनके चरण आज भी वहां मौजूद हैं। सालों से यह उपेक्षित था, मगर 2019 में सरकार ने ध्यान दिया और यहां मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले को राजकीय घोषित किया। मुख्यमंत्री ने उसी समय पर्वत के जीर्णोद्धार और पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे बनाने का ऐलान किया था। इस पर 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। निर्मित रोपवे का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल वाले मंदार पर्वत पर सुगमतापूर्वक आवाजाही के लिए इस 377.36 मीटर लंबे रोपवे के बन जाने के बाद शिखर का सफर अब घंटों की बजाय मिनटों में पर्यटक तय कर सकेंगे। वे खुद भी रोपवे के जरिए पर्वत के शिखर पर गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबसे पहले राजगीर में रोपवे का निर्माण करवाए जाने से वहां पर पर्यटकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ी है।

इसी तरह मंदार पर्वत पर भी रोपवे के निर्माण से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू होगा। इसके अलावा यहां के पापहरिणी तालाब सहित अन्य स्थलों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक, पौराणिक व धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बने बांका जिले में पर्यटन की संभावना को देखते हुए पहले से एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। जिसकी शुरुआत मंगलवार से हो रही है।

www.readwhere.com